भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3454

जिसका उत्तर सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक) को दिया गया

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0

†3454. श्री पी. पी. चौधरी :

श्री राजीव प्रताप रुडी :

श्री खगेन मुर्मु:

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत:

क्या *वित्त मंत्री* यह बताने की कृपा करगे कि:

(क) क्या सरकार ने एयरलाइन क्षेत्र के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 5.0 के कार्यान्वयन हेतु कोई रुपरेखा तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत एयरलाइनों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए क्या पात्रता मानदंड और संस्थागत तंत्र अपनाया गया है;

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत कोई आवेदन प्राप्त हुए हैं या स्वीकृत किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऋण सहायता के उपयोग की निगरानी करने और कार्यान्वयन अविध के दौरान एयरलाइन के परिचालन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) सरकार ने एम.एस.एम.ई तथा गैर-एम.एस.एम.ई क्षेत्रों के लिए पश्चिम एशिया संकट के कारण व्यवसायों के सामने आने वाले किसी भी अल्पकालिक चलनिधि में अंतर से निपटने के लिए मई 2026 में ईसीएलजीएस 5.0 की शुरुआत की है। अनुसूचित यात्री विमानन क्षेत्र के लिए, यह योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही अर्थात 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 (दोनों तिथियां शामिल) के दौरान उनकी कुल उच्चतम बकाया ऋण सीमा (निधि-आधारित और गैर-निधि-आधारित दोनों) के 100% तक के अतिरिक्त ऋण की अनुमति देती है।

यह योजना अनुसूचित यात्री विमानन क्षेत्र के अंतर्गत पात्र उधारकर्ताओं को दी गई अतिरिक्त ऋण सुविधा के अंतर्गत चूक की राशि के लिए नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के माध्यम से सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) को 90% की गारंटी कवरेज प्रदान करती है।

(ख) नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा जारी योजना के परिचालन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार, अनुसूचित यात्री विमानन क्षेत्र के लिए ईसीएलजीएस 5.0 के अंतर्गत "पात्र उधारकर्ता" में निम्नलिखित शामिल हैं:

- इस क्षेत्र के वे व्यावसायिक उद्यम जिनकी दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार एमएलआई से बकाया ऋण सुविधाएं (निधि-आधारित और गैर-निधि-आधारित दोनों) हैं।

- दिनांक 31.03.2026 तक उधारकर्ता की ऋण संबंधी सुविधाएं (भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, एसएमए-2 को छोड़कर) 'मानक' के रूप में वर्गीकृत होनी चाहिए।

उधारकर्ताओं को निर्धारित आवेदन और स्व-घोषित जानकारी प्रस्तुत करके जनसमर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना आवश्यक है। आवेदन पर निर्णय लेने के लिए इसे डिजिटल रूप से चयनित ऋणदाता की शाखा में अग्रेषित किया जाता है। ऋण सुविधा स्वीकृत होने पर, ऋणदाता पोर्टल पर स्वीकृति विवरण को अद्यतन करता है, जिसे गारंटी जारी करने के लिए एनसीजीटीसी के साथ साझा किया जाता है।

(ग) दिनांक 31.07.2026 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित यात्री विमानन क्षेत्र के संबंध में इस योजना के अंतर्गत प्राप्त और स्वीकृत किए गए आवेदनों का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	आवेदनों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)
स्रोत	8	2529.67
स्वीकृत	4	920.22
जारी की गई गारंटी	3	912.40

स्रोत: पीएसबी एलायंस, एनसीजीटीसी

(घ) योजना के परिचालन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऋण सहायता के उपयोग की निगरानी के लिए निम्नलिखित प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए हैं:

- निधि का प्रतिबंधित अंतिम उपयोग: 100 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण सहायता के लिए, निधियों को विशेष रूप से आवश्यक परिचालन खर्चों की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए, जिनमें गैर-कार्यकारी वेतन, ईंधन खरीद, हवाई अड्डा शुल्क और विमान पट्टा भुगतान शामिल हैं। इन उद्देश्यों के लिए उपयोग का सत्यापन लेखा परीक्षक के प्रमाण पत्र द्वारा किया जाना चाहिए। 100 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए, कार्यशील पूंजी के उपयोग से संबंधित स्व-घोषणा पत्र आवश्यक है।
- निगरानी : सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) द्वारा एनसीजीटीसी जिसके पास ऋणदाता और उधारकर्ता दोनों की खाता बहियों और अभिलेखों का निरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित है, को आवधिक विवरण और जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है,
- 500 करोड़ रुपये से अधिक की उन सुविधाओं के लिए, जहाँ 9 महीने की वित्तीय वर्ष 2026 की अवधि (दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 31.12.2025 तक) के लिए ईबीआईटीडीए नाकारात्मक है, अतिरिक्त जोखिम कम करने के उपाय निर्धारित किए गए हैं।

इस योजना का उद्देश्य संस्थागत ऋण तक निरंतर पहुँच सुगम बनाना और यात्री विमानन के संचालन की निरंतरता का समर्थन करना है।
